प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन व बहस पर मनन करनें के उपरान्त अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीन बिन्दुओ पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है:–

प्रथम दृष्ट्या मामला:–

वादगत खसरा वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी का खेत हे। प्रार्थी स्वंय वाद में मानता है कि वादगत खेत मौके पर विभाजित है एवं वह अपने 1/4हिस्से पर मौके पर कब्जा एवं काश्त करता है। अप्रार्थीगण भी वादगत खसरे के सहकाश्तकार है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला अकेले वादी के पक्ष में नही बनता है।

सुविधा का सन्तुलन:–

प्रश्नगत भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी है अतः सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु भी वादी के पक्ष में निर्णत नहीं किया जाता है।

अपूरर्णीय क्षति:–

वादगत भूमि पर वादी द्वारा के.सी.सी. ऋण कृषिकूप एवं विद्युत कनेक्शन इत्यादि करवानें में परेशानी होना बताया जबकि संयुक्त खातेदारी होते हुए उपरोक्त सभी कार्य सम्भव है। अन्य समस्त बिन्दु मूल वाद में तय होगे। अतः अपूरणीय क्षति भी वादी के पक्ष में निर्णित नहीं की जाती है।

आदेश

प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित नहीं किये जाने के कारण वह अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर कर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

Divya

(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:20:50 IST
Reason: SelfAttested